श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी

(उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

प्रस्तावित सामान्य दिशा निर्देश

श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी

(उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय)

परिसर एवं समस्त संबद्ध महाविद्यालयों हेतु दिशा निर्देश

उत्तराखंड शासन द्वारा निर्देशित एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम संरचना एवं न्यूनतम समान पाठ्यक्रमों को वर्तमान सत्र 2022-23 से लागू करने हेतु सामान्य दिशा निर्देश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2022-23 से लागू किए जाने के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 1196/ XXIV-C-4/2021-01(06)/2019, दिनांक 08 अक्टूबर 2021 के क्रम में श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के परिसर एवं समस्त संबद्ध महाविद्यालयों हेतु जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रस्तावित प्रारूप पर श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश एव अन्य सबंधित विषयगत बिंदुओं के संदर्भ में दिशा निर्देश प्रस्तावित किए जा रहे हैँ । सामयिक आवश्यकता तथा शासकीय निर्देशों के अनुसार भविष्य में इस दिशा निर्देश का संशोधित प्रारूप भी जारी किया जा सकता है अथवा किसी मामले में अलग से अधिसूचना जारी की जा सकती है।

विश्वविद्यालय परिसर तथा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों /संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरुप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को निम्नानुसार लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे :

1.1 तीन विषय वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों (बी.ए.,बी.एस.सी.,बी.कॉम.आदि) में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू होगा।

1.2 स्नातक (शोध सहित) बी.ए.,बी.एस.सी.,बी.कॉम. आदि एवं स्नातक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू होगा।

1.3 बी.ए.आनर्स,बी.एस.सी. आनर्स बी.कॉम. आनर्स इत्यादि एवं अन्य एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट (CBCS) आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू होगा।

1.4 पी.एच.डी. कार्यक्रमों में नवीन व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2024-25 से लागू होगी।

1.5 स्नातक/ स्नातकोत्तर के समस्त पाठ्यक्रमों में सत्र 2021- 22 तक प्रवेशित छात्रों पर उनके उपाधि प्राप्त करने तक यह नए नियम लागू नहीं होंगे अर्थात पूर्व में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर यह दिशा निर्देश प्रभावी नहीं होंगे। महाविद्यालयों में पूर्व से संचालित स्नातक स्तर पर वार्षिक पद्धति तथा परिसर में संचालित सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत अध्यापन और परीक्षा पूर्ववत ही संपादित होगी।

2. पाठ्यक्रम

स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय, एक माइनर इलेक्टिव पेपर, दो सह - पाठ्यक्रम एवं दो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय , एक माइनर इलेक्टिव पेपर, सह - पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in Faculty प्रदान किया जायेगा।

तृतीय वर्ष तक 132 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय , दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।

विद्यार्थी को सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी । विद्यार्थी को निर्गत प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा पर उनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार परक पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा । विद्यार्थी को सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूर्ण करने पर ही स्नातक की उपाधि प्राप्त होगी । विद्यार्थी निकास के पश्चात अगले स्तर पर पुनः प्रवेश ले सकेगा किंतु प्रवेश लेने पर उसे अपना सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। साथ ही पूर्व पात्रता के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध होगी।

विद्यार्थी जिस संकाय में सफलतापूर्वक तीन वर्ष पुणे करने पर न्यूनतम 60% क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसे स्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी । यदि कोई विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम 60% क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन की उपाधि दी जाएगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिसमें स्नातक स्तर पर किसी भी विषय के पूर्व पात्रता की आवश्यक शर्त नहीं होगी।

3. प्रवेश

सर्वप्रथम विद्यार्थी परिसर/ महाविद्यालय में अपने संकाय का चुनाव स्नातक स्तर पर अपने प्रवेश पर ही करेगा । परिसर/ महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर विद्यार्थी को संबंधित संकाय में प्रवेश दे सकेंगे । प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर परिसर / महाविद्यालयों/ संस्थानों द्वारा किये जायेंगे।

स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विषय वर्ग/ संकाय के लिए पूर्व पात्रता (Pre-requisite)

विज्ञान वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय, कला संकाय तथा कृषि संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा किंतु यदि छात्र ने इंटर स्तर पर विज्ञान वर्ग के अंतर्गत गणित विषय लिया है तो वह वाणिज्य संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा।

कला वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के बाद होगा किंतु यदि छात्र ने इंटरमीडिएट स्तर पर कला वर्ग के अंतर्गत अर्थशास्त्र अथवा गणित विषय लिया है तो वह वाणिज्य संकाय के अंतर्गत में प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा।

वाणिज्य वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय अथवा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

कृषि वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कृषि संकाय तथा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

व्यवसायिक वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

मुख्य (Major) विषय तथा गौण चयनित (Minor Elective) पेपर

3.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (Major) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।

3.2 तीसरे मुख्य (Major) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।

3.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।

3.4 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय

परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।

3.5 माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय में 4 क्रेडिट का होगा।

3.6 माइनर इलेक्टिव विषय विद्यार्थी को किसी भी संकाय से लेना होगा और इसके लिए किसी भी Pre- requisite की आवश्यकता नहीं होगी।

3.7 बहुविषयकता सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव विषय सभी विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिये गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) लेना होगा।

3.8 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव विषय का चयन विद्यार्थी द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय से हो।

3.9 स्नातकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) पर माइनर इलेक्टिव पेपर चुनाव अन्य संकाय से करना होगा।

3.10 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलेक्टिव विषय (एक माइनर विषय/पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषयक को आंबांटित कर सकता है। तृतीय ,पांचवे एवं छठवें वर्ष में माइनर इलेक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।

3.11 विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव कर सकता है।

3.12 माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के अनुरुप किया जायेगा। चुने हुए माइनर विषय /पेपर की कक्षायें फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ होगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जायेगी।

4. पाठ्यक्रमों हेतु विषय संयोजन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप विश्वविद्यालय व्यवस्था के दृष्टिगत संचालित **कला संकाय** के विषयों को तीन समूहों (समूह अ,समूह ब तथा समूह स) में विभाजित करते हुए इनके चयन संबंधी निर्देश निम्न पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं । प्रारंभिक रूप से यह नियम सत्र 2022 23 हेतु प्रभावी होंगे । आगामी सत्रों से इन नियमों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है । नियम परिवर्तन की दिशा में पृथक से अधिसूचना जारी की जाएगी।

समूह अ	समूह ब	समूह स
Hindi	Drawing and Painting	Anthropology
English	Home science	Military Science

Sanskrit	Education	Economics
	Geography	History
	Music	Political science
	Sociology	Statistics
	Psychology	
	Physical education	

प्रत्येक विद्यार्थी कला संकाय के अंतर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम दो और अधिकतम तीन विषयों का चयन कर सकता है । सामान्य रूप से प्रथम सेमेस्टर में चयनित विषय का अध्ययन विद्यार्थी को द्वितीय , तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में भी करना होगा।

विद्यार्थी समूह में से किसी एक समूह से अधिकतम दो विषयों का ही चयन कर सकता है । किसी एक समूह से तीन विषयों का चयन नहीं किया जाएगा । विद्यार्थी दो से अधिक भाषा/ साहित्य विषयों का चयन नहीं करेगा । विद्यार्थी दो से अधिक से अधिक विषयों का चयन एक साथ नहीं करेगा।

विज्ञान संकाय

समान प्रक्रिया विज्ञान संकाय के विषयों के संदर्भ में भी अनुपालन करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विज्ञान संकाय के विषयों को तीन समूहों में विभाजित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप इनके चयन संबंधी निर्देश निम्नवत प्रस्तुत है:

समूह अ	समूह ब	समूह स
Physics	Botany	Chemistry
Mathematics	Zoology	Geology
	Biotechnology	Statistics
		Defence and Strategic Studies

5. कौशल विकास पाठ्यक्रम

कौशल विकास/ रोजगार परक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में विश्वविद्यालय परिसर/ महाविद्यालय स्तर पर उत्तराखंड शासन के उच्च शिक्षा विभाग कि शासनादेश संख्या 1196/XXIV-C-

4/2021-01(06)/2019, दिनांक 08 अक्टूबर 2021 के अनुक्रम में कार्यवाही अपेक्षित है। कौशल विकास/ रोजगार परक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संबंध में परिसर / महाविद्यालय सबंधित जिले के पॉलिटेक्निक , आई.टी.आई. अथवा अन्य समकक्ष राजकीय प्रशिक्षण संस्थान से भी अनुबंध हस्ताक्षरित कर सकते हैं । हस्ताक्षरित अनुबंध की एक प्रति अनुमोदन हेतु विश्वविद्यालय को जमा करनी होगी। परिसर/ महाविद्यालय से यह भी अपेक्षा है कि अपने परिसर में न्यूनतम एक विशेषज्ञता युक्त कौशल विकास का क्लस्टर विकसित करें तथा छात्रों को इसका व्यापक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से अपने निकट के परिसर/ महाविद्यालय से कौशल विकास के संबंध में अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित करें जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन की क्रियाविधि स्पष्टता के साथ अंकित हो।

क्योंकि कौशल विकास/ रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु महाविद्यालय को शासन स्तर से किसी प्रकार का अनुदान प्रदान किया नहीं जा रहा है । अतः इस संबंध में आवश्यक संसाधन के आकलन के उपरांत कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण का शुल्क निर्धारण अपने स्तर पर No profit,no loss के आधार पर करें।

स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक-एक कौशल विकास कोर्स 12(3×4) क्रेडिट के चार पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

यद्यपि परिसर / महाविद्यालय को स्थानीय आवश्यकता और कॉर्पोरेट सेक्टर की मांग के अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम का निर्धारण अपने स्तर से करने की स्वतंत्रता होगी तथापि सुविधा हेतु संदर्भ सूची निम्नवत दी जा रही है :

Banking and Finance
Drawing and Color Studies
Drawing and sketching of human body
Fundamentals of Medical Laboratories
Food and food resources
Basics of cost accounting
Financial literacy
Critical thinking and writing
Fundamentals of Business Economics
Fundamentals of Accounting
Fundamental of Computer
Athletic injuries and physiotherapy
Office management and secretarial practice

Advertising management
Introduction to housekeeping
Fundamentals of web designing
Digital marketing and Management
Photography lettering
Field Study techniques and report writing
Food process technology and food microbiology
Food manufacturing and entrepreneurship
Food testing and quality control
Food processing, preservation and packaging
Basic program on stock market
Entrepreneurship
Intellectual property right
Waste management and rainwater harvesting
Renewable and Clean Energy Technology
Elements of public administration
Right to Information
Community service
Disaster management
Landscape
Mushroom cultivation
Organic farming
Basic nutrition and hygiene
Public health and hygiene
Tour package operations and Management
Business communication
Human Resource Management
Digital literacy and cyber security
Fundamentals of web designing
Office automation tools
Fashion designing
Book publication

Vedic mathematics

Computer applications and bioinformatics

6. सह-पाठ्यक्रम

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर) के प्रत्येक में एक - एक सह पाठ्यक्रम करना अनिवार्य होगा।

6.2 विद्यार्थी को हर सह-पाठ्यक्रम को 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

6.3 ये छह पाठ्यक्रम सेमेस्टर अनुसार निम्नवत होंगे:

प्रथम सेमेस्टर : संपर्क व्यवहार कौशल

द्वितीय सेमेस्टर : पर्यावरण अध्ययन एवं मूल्य शिक्षा

तृतीय सेमेस्टर : श्री मद भगवत गीता में प्रबंधन प्रतिमान

चतुर्थ सेमेस्टर : वैदिक विज्ञान / वैदिक गणित

पंचम सेमेस्टर : ध्यान / राम चरित मानस के अनुप्रयुक्त दर्शन के माध्यम से व्यक्तित्व विकास

षष्टम सेमेस्टर : भारतीय पारंपरिक ज्ञान का सार / विवेकानन्द अध्ययन

7. शोध परियोजना

7.1 स्नातक/स्नातकोत्तर (पी. जी. डी. आर.) स्तर पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (पांचवें से ग्यारहवें सेमेस्टर तक) में शोध परियोजना करनी होगी। विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृहद शोध परियोजना करनी होगी। पी. जी. डी. आर. में शोध परियोजना का स्वरुप विश्वविद्यालय अपने प्री-पीएच. डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेगा।

7.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्टम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बन्धित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना Interdisciplinary भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग/इंटर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रुप में भी हो सकती है।

7.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी /तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।

7.4 विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध

Report/ Dissertation जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत मं सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाहय परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 अंकों में से किया जायेगा।

7.5 स्नातक स्तर एवं पी. जी. डी. आर.के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्ताकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित हांगे परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

7.6 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

8. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

8.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कार्य कराना होगा।

8.2 प्रैक्टिकल/इर्न्टनशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इर्न्टनशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा।

8.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा-निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

8.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चतुवर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी. जी. डी. आर.ले सकता है।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के बाद 45 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में रि-क्रेडिट (Re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन

करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

8.5 यदि कोई योग्य विद्यार्थी (Fast learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8.6 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

8.7 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य (Major) विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री प्रदान की जायेगी।

8.8 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन (B.L.E.) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के Pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।

8.9 यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टीफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट रि-क्रेडिट(Re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह रि-क्रेडिट (Re-credit) किए गए क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

9. स्नातक पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली

स्नातक पाठ्यक्रमों में यूजीसी के दिशा निर्देशों पर आधारित निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जायेगी।

लेटर ग्रैड	**विवरण**	**प्रतिशत अंकों की सीमा**	**ग्रैड पॉइंट**
O	Outstanding	91.100	10
A+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6

C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

10. उत्तीर्णता प्रतिशत

10.1 Qualifying पेपर्स में qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not-qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

10.2 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) Credit Course हैं तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत ही होगा।

10.3 छः सह पाठ्यक्रम कोर्स Co-curricular Course तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor project) qualifying है तथा इनके उत्तीर्ण अंक 40 प्रतिशत होंगे।

10.4 सभी विषयों में मुख्य/माइनर/सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

10.5 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

10.6 सह-पाठ्यक्रम/ लघु शोध विषयों के प्रत्येक कोर्स /पेपर (थ्योरी एवं पै्रक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में 30 अंक (75 का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।

10.7 किसी भी कोर्स /पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व वाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 (सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन

में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेंगे।

10.8 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace marks) नहीं दिये जायेंगे।

11. कक्षान्नोति (Promotion)

11.1 विद्यार्थी को विषम सेमेस्टर (Odd Semester) अगले सम सेमेस्टर (Even Semester) में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम (Odd Semester) का परिणाम कुछ भी हो।

11.2 सम सेमेस्टर (Even Semester) से अगले विषम सेमेस्टर (Odd Semester) अर्थात वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जायेगी :

विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (Required) क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों तथा पूर्व वर्षों (वर्तमान वर्ष के अतिरिक्त) के लिये आवश्यक (Required) सभी (मुख्य/माईनर/स्किल इत्यादि) पेपर्स तथा Qualifying Papers (सह-पाठ्यक्रम) के क्रेडिट्स उत्तीर्ण कर लिये हों।

11.3 50 प्रतिशत क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जायेंगे। जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

12 .बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा

12.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार परीक्षा (Improvement) नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स के संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

12.2 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर में ही उपलब्ध होगी।

12.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/ पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।

12.4 विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा काल बाधित ना होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगी।

13. काल अवधि

13.1 किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या (Explanation): यदि विद्यार्थी सततता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।

14. SGPA एवं **CGPA** की गणना

14.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जाएगी %

semester के लिए SGPA (Sj) $\sum$= (Ci×Gi)/ $\sum$Ci	यहाँ पर Ci = number of credits of the ith course in jth semester Gi= grade point scored by the student in the ith course in jth semester
CGPA = $\sum$(Cj×Sj)/ $\sum$Cj	यहाँ पर Sj = SGPA of the semester Cj= total number of credits in the jth semester

14.2 CGPA को प्रतिशत अंकों में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :

समतुल्य प्रतिशत = CGPA × 9.5

विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगी:

श्रेणी	**वर्गीकरण**
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा10.00 अथवा उससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

उपस्थिति एवं क्रेडिट निर्धारण

क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा मैं सम्मिलित होना आवश्यक है । परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे। परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी।

यदि किसी विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है परंतु किसी कारण वश में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता तो वह आगामी समय में परीक्षा दे सकता है । उसे पुनः कक्षाओं में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है।

प्रवेश नियमावली एवं समय सारणी

विश्वविद्यालय सभी शिक्षण संस्थानों के लिए प्रदेश नियमावली तथा प्रक्रिया शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए शासनादेश के अनुरूप तैयार करना सुनिश्चित करेगा। समय सारणी निर्मित करते समय यह सुनिश्चित किया जाना समीचीन होगा कि विद्यार्थियों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हो सके।

शिक्षण कार्य एवं प्रक्रिया

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत परिसर एवं महाविद्यालयों द्वारा क्षेत्र में न्यूनतम 90 कार्य दिवसों अर्थात 15 सप्ताह का शिक्षण कार्य कराना अनिवार्य होगा।